



संशोधित

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

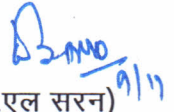
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब (निर्माण) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत 37.577 हे. एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत 2.849 हे. कुल रकबा 40.426 हे. की मांग 132 के. व्ही डी.सी.एस.एस पारेषण लाईन के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 09/11/2016

स्थान: रायपुर


(बी.एल सरन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर